उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज.)
न्यायालय बइजलास श्री लहरी कुमार जैन R.A.S.

मुकदमा नं. 222/14 दावा

निर्णय दिनांक 15.03.2017

बउनवान

1. मूर्ति मन्दिर मथुरेश जी।

—वादी

बनाम

1. श्री कजोडीलाल वगैरा।

—प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

उपस्थित — श्री अशोक कुमार जैन एडवोकेट :— अप्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी द्वारा जर्ये एडवाकेट इस आशय का प्रार्थना—पत्र पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया था, व माननीय न्यायालय द्वारा राजीनामा अनुसार दिनाक 26.01.2007 को निर्णय व डिक्री पारित की गई थी। यह कि प्रतिवादीगण की ओर से 15 मई 2008 तक से 15 2012 तक की भेंट राशि वादी के समक्ष जमा करा दी थी, जिसकी रसीद प्रतिवादीगण को दे दी गई थी। प्रतिवादीगण की ओर से 15 मई 2012 तक से 15 मई 2014 तक की भेंट राशि वादी के समक्ष जमा कराई गई किन्तु वादी द्वारा भेंट राशि जमा करने से प्रतिवादीगण को मना किया गया है। यह कि उपरान्त मना करने के प्रतिवादीगण द्वारा मनीआर्डर द्वारा राशि जमा का प्रयास किया गया, परन्तु वादी द्वारा भेजे गये मनी आर्डर को भी लेने से मना कर दिया गया, जिसके साक्षी रसीद संलग्न है। यह कि न्यायहित में उक्त पत्रावली तलब कर माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनाक 26.10.2007 के अनुसार वादी को मई 2012 तक से मई 2014 तक की भेंट राशि प्रतिवादीगण की ओर से जमा कर व प्रतिवादीगण को रसीद देने के आदेश दिया जाना आवश्यक है, और भविष्य में भेंट राशि प्रतिवादीगण द्वारा जमा कराए जाने पर प्रतिवादीगण को रसीद दिया जाना आवश्यक है।

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त वाद की पत्रावली तलब कर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत मई 2012 तक से मई 2014 तक की भेंट राशि जमा करने के आदेश प्रदान करें व भविष्य में प्रतिवादीगण द्वारा भेंट राशि जमा कराने पर प्रतिवादीगण को वादी द्वारा रसीद देने के आदेश प्रदान करें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलवी की गई प्रतिवादी बावजूद सूचना के अनुपस्थित होने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पत्रावली में एक तरफा बहस सुनी गयी बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने जाहिर किया कि उक्त प्रार्थना—पत्र से सम्बन्धित वाद में दिनाक 26.10.2007 को पक्षकारान के मध्य राजीनामा होकर मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारित हो चूका है। मुताबिक राजीनामा प्रार्थीगण को विवादित आराजी के ऐवज में 200/— प्रति बीघा वादी को अदा करनी थी जो कि प्रतिवर्ष 15 मई तक अदा करनी थी।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

उक्त राशि पांच वर्ष की अवधि के अन्तराल पर 5 प्रतिशत में वृद्वि होनी थी। प्रतिवादीगण ने 15 मई 2008 से 15 मई 2012 तक की राशि जमा करा ली है, परन्तु बाद की राशि वादी जमा नंही कर रहा है और नांही रशीद दे रहा है ।

हमारे द्वारा प्रकरण में रेकार्ड प्रा0प0 व प्रा0 पत्र में संलग्न दस्तावेंजों (निर्णय दिंनाक 26.10.2007) का अधोपतन अवलोकन किया गया जिससे हम यह मानते हैं कि वादी को मुताबिक राजीनामा प्रति0(प्रार्थीगण) सेबकांया भेंट राशी प्राप्त करना चाहिए जो उसके द्वारा प्राप्त नंही की जा रही है। ऐसी स्थिति में हम वादी को इस प्रकार आदेशित करना उचित समझते है

अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है किअप्रार्थीगण प्रार्थीगण से मुताबिक राजीनामा दिंनाक 26.10.2007 अनुसार जो भी राशि बकाया हो उसे प्राप्त करें।

निर्णय आज दिंनाक 15.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लहरी कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)